संख्या- 550/14-2-2017-800(47)/2015

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- जनपद हरदोई में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा हरदोई-साण्डी मार्ग के किमी0 07-08 08 के मध्य दायी पटरी पर स्थित ग्राम शहाबुददीन परगना बंकर तहसील हरदोई में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.044 हे0 संरक्षित वन वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

ग्रहण करें।

कार्पो0 लि0 द्वारा हरदोई-साण्डी मार्ग के किमी0 07-08 के मध्य दायी पटरी पर स्थित ग्राम शहाबुददीन परगना बंकर तहसील हरदोई में प्रस्तवित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.044 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक निकास/प्रवेश भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डड लाईन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।

(3) फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण

बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
होगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा।

(6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक डाफट/चेक की छायाप्रति सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण जायेगा।

(8) उपरोक्त् आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक

जमा कराया जायेगा।

(9) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

(11) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य

हर सम्भव उपाय करेंगें।

(12) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल

सरकार से अनुमोदन प्राप्त् करना होगा।

अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी

होगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/infra

(14) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त् वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि

उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त् हो जायेगी।

तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त् कर लिया गया है।

जायेगा।

कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना राष्टीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित

न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(20) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

(21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति

अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(24) इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा

को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

11-07-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत

करना होगा।

(27) प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(29) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

<u>संख्या-550(1) /14-2-2017-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

5- मुख्य मण्डलीय रिटेल सेल्स प्रबंधक आई0ओ0सी0एल0 लखनऊ मण्डलीय कार्यालय सेक्टर एफ कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra